फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री बंशीलाल गुर्जर पुत्र श्री लादुलाल गुर्जर नि. कुंदवा तहसील देवगढ जिला राजसमंद

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद एवं तहसीलदार, देवगढ — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा—अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 60/2022

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 27.09.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, राजसमंद को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये क्रमांकः एफ.1( )सू.अ.,05/2022/769—781 दिनांक 14 सितम्बर, 2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध तहसीलदार, देवगढ से होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आरटीआई आवेदन पत्रांकः 657—659 दिनांक 18..07.2022 से संबंधित विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में तहसीलदार, देवगढ को समयावधि में अन्तरण की जाकर प्रार्थी को सूचित किया गया है। तहसीलदार एवं लोक सूचना अधिकारी, देवगढ द्वारा जरिये पत्रांकः सू.अ.अ. /2022/150 दिनांक 22.09.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पत्रांकः सू.अ./2022/111—12 दिनांक 22..08.2022 अनुसार तहसीलदार, देवगढ द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ द्वारा उपलब्ध करवादी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, राजसमंद एवं तहसीलदार, देवगढ को भिजवायी जावे। लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)